आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्र वाद 04/2015	
06/01/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **चन्दन कुमार, पिता-अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, सा0-रामपुर, थाना-मढ़ौरा, जिला-सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5062/गो0 दिनांक 23.11.14 के द्वारा प्रेषित आवेदक चन्दन कुमार, पिता-अखिलेश्वर प्रसाद सिंह., सा0रामपुर, थाना-मढ़ौरा, जिला-सारण के द्वारा एक रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र के के जॉचोपरान्त प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आरम्भ किया गया है। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, मढ़ौरा थाना के ज्ञापांक डी.आर. 430 दिनांक 3.4.13 एवं डी.आर. 2995 दिनांक 19.11.14 के द्वारा निर्गत प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5062/गो0 दिनांक 23.11.14 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित किया गया है। दिनांक 25.11.14 एवं 18.12.14 को आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जांच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया। आवेदक के द्वारा बताया गया कि उनके दादाजी की हत्या की गयी थी तथा उनके घर में अब तक पॉच बार डकैती की घटना घट चुकी है। उक्त दोनों घटनाओं का प्राथमिकी कांड सं0 उन्हें याद नहीं है। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। उनके नाम से एक दोनाली बंदूक की अनुज्ञप्ति थी, जिसे शिवम गन हाउस छपरा में जमा करा दिया गया है। उक्त दोनों कांड के अभियुक्तों के परिवार वालों से उन्हें तथा उनके परिवार को जानमाल का खतरा बना रहता है। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए उक्त शस्त्र की अनुज्ञप्ति को रद्द कर उनके नाम से एक रायफल की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। अभिलेख में रक्षित पुलिस प्रतिवेदन में आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंकित नहीं था। इसलिए इस न्यायालय के	

पत्रांक 1030 दिनांक 10.12.14 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, सारण से स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके प्रसंग में पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 21/गो0 दिनांक 2.1.15 के द्वारा विहित प्रपत्र में खतरे की आशंका से संबंधित प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसमें वर्णित है कि आवेदक के द्वारा बताया गया है कि वर्ष 1962 में इनके दादा की हत्या हुई थी और उसके बाद घर में डकैती भी हुई थी। आवेदक के द्वारा उक्त घटनाओं से संबंधित कांड सं0 से अवगत नहीं कराया गया और न ही कोई संबंधित कागजात ही प्रस्तुत किया गया। थाना में उतना पुराना अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप उक्त बिन्दुओं पर प्रतिवेदन देना संभव नहीं हो पा रहा है। आवेदक के द्वारा बतायी गयी बातों के आधार पर उनके जानमाल पर खतरे की आशंका प्रतीत होती है। पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा उक्त प्रतिवेदन को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।

आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक चन्दन कुमार, पिता–अखिलेश्वर प्रसाद सिंह., सा0रामपुर, थाना–मढ़ौरा, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रायफल की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि जिला शस्त्र शाखा, सारण के पत्रांक 254 दिनांक 29.4.14 के द्वारा निर्गत आदेश के क्रमांक 45 पर अंकित आवेदक के पिता अखिलेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा धारित दोनाली बंदूक सं0 डी.बी.बी.एल. 216810 की अनुज्ञप्ति सं0 ए/84 को रद्द किया जा चुका है।

वाद निष्पादित

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 062 दिनांक 13/1/15

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।
13/1
12/1/15